रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012026-269054
CG-DL-E-02012026-269054

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 09]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 2026/पौष 12, 1947
No. 09]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 2026/PAUSHA 12, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2026

का.आ. 9(अ).— सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है), केंद्र सरकार द्वारा सिस्टम/एप्लीकेशन और उनके संबंधित डेटाबेस से संबंधित कंप्यूटर संसाधनों, अर्थात् भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे (आईसीईजीएटी) पोर्टल अपने अंतर्संबंधित सिस्टम, एक्सप्रेस कार्गो क्लीयरेंस सिस्टम (ईसीसीएस) और केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर (एसीईएस-जीएसटी) पोर्टल के स्वचालन के साथ, जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना हैं और उनके संबंधित निर्भरताओं के कंप्यूटर संसाधनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संरक्षित सिस्टम घोषित किया जाता है और निम्नलिखित कर्मियों को संरक्षित सिस्टम तक पहुंचने के लिए अधिकृत किया जाता है, अर्थात्:

(क) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा लिखित रूप में अधिकृत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का कोई भी नामित कर्मचारी, जिसे संरक्षित प्रणाली तक पहुंचने के लिए अधिकृत किया गया है;

(ख) संविदात्मक प्रबंधित सेवा प्रदाता या तीसरे पक्ष विक्रेता का कोई भी टीम सदस्य, जिसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा आवश्यकता-आधारित पहुंच के लिए लिखित रूप में अधिकृत किया गया है; और

(ग) कोई भी परामर्शदाता, नियामक, सरकारी अधिकारी, लेखा परीक्षक और हितधारक, जिसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर लिखित रूप में अधिकृत किया गया है।

2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

[फा. सं. एन-24015/9/2025- कंप्यूटर सेल]

मुकेश सुन्द्रियाल, अवर सचिव (कंप्यूटर सेल)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2026

S.O. 9(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares the computer resources relating to systems/applications and their respective databases, namely Indian Customs Electronic Data Interchange Gateway (ICEGATE) Portal along with its interconnected systems, Express Cargo Clearance System (ECCS) and Automation of Central Excise and Service Tax (ACES-GST) portal, being Critical Information Infrastructure of Central Board of Indirect Taxes & Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance and the computer resources of their associated dependencies, to be protected systems for the purpose of the said Act and authorises the following personnel to access the protected systems, namely:

(a) any designated employee of the Central Board of Indirect Taxes and customs authorized in writing by the Central Board of Indirect Taxes and customs to access the protected system;

(b) any team member of contractual managed service provider or third-party vendor who have been authorised in writing by the Central Board of Indirect Saxes and customs for need-based access; and

(c) any consultant, regulator, Government official, auditor and stakeholder authorised in writing by the Central Board of Indirect Taxes and customs on case-to-case basis.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. N-24015/9/2025-Computer Cell]

MUKESH SUNDRIYAL, Under Secy. (Computer Cell)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA